अनि स्ता स्वापन पान The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) पाधिकार से प्रकाशित **PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 419] No. 4191 नई दिस्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2010/श्रावण 6, 1932

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2010/SHRAVANA 6, 1932

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 639(अ),-केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2010 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 के नियम 8 में उप-नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात :--
 - "(3) परिपक्वता अवधि के पूर्व जमाकर्ता की मृत्यू की दशा में, खाता बंद कर दिया जाएगा और फार्म "च" में आवेदन करने पर जमाकर्ता की मृत्य की तारीख तक इस स्कीम में यथा लागू ब्याज सहित जमाराशि, नामनिर्देशिती को या नामनिर्देशिती की भी मृत्य हो जाने अथवा नियम 6 में यथा उपबंधित नामांकन न किए जाने, जैसी भी स्थिति हो, की दशा में कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जाएगी। जमाकर्ता की मृत्य की तारीख और राशि की वापसी की तारीख के बीच की अवधि के लिए डाकघर बन्नत खाता नियम, 1981 के नियम 6 में यथा उपबंधित बचत खातों में समय-समय पर लागु दर पर साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।"

[फा. सं. 2-8/2004-एन. एस.-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पणी:-वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004,

भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490(अ) तारीख 2 अगस्त, 2004 में प्रकाशित किए गया था और तत्पश्चात् संशोधन सा.का.नि. 706(अ) तारीख 27 अक्तूबर, 2004 द्वारा सं. सा.का.नि. 176(अ) तारीख 23 मार्च, 2006 और सं. सा.का.नि. 390(अ) तारीख 24 मई, 2007 के द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2010

G.S.R. 639(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Senior Citizens Savings Scheme (Amendment) Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 in rule 8, for sub-rule 3 the following sub-rule shall be substituted, namely :-
 - "(3) In case of death of a depositor before maturity, the account shall be closed and deposit refunded on an application in Form 'F' along with interest as applicable to the scheme till the date on which the depositor expired, to the nominee or legal heirs in case the nominee has also expired or nomination as provided in rule 6 was not made, as the case may be.

For the period between the day following the date of death of the depositor and the date on which refund is made, simple interest shall be paid at the rate applicable from time to time to savings accounts as provided in Rule 6 of Post Office Savings Accounts Rules, 1981".

[F. No. 2-8/2004-NS-II] M. A. KHAN, Under Secy. Note:—The Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 were published in the Gazette of India (Extraordinary) *vide* notification number G.S.R. 490(E) dated the 2nd August, 2004 and subsequently amended *vide* G.S.R. 706(E) dated the 27th October, 2004 and G.S.R. 176(E), dated the 23rd March, 2006 and G.S.R. 390(E) dated the 24th May, 2007.